

# मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

## वित्त विभाग

संदर्भ स. एफए/सीए/पी.3/2022/167

दिनांक 22/07/2022

### परिपत्र


विषय: जुलाई, 2022 से सितम्बर 2022 तक की अवधि के लिए डी. ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत.

मंत्रालय के पत्र सं.29018/2/2016-पीई-1 दि. 05/02/2020, दि.30/08/2018 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एआईसीपीआई तिमाही इन्डेक्स औसत 277, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है, के आधार पर जुलाई, 2022 से सितम्बर 2022 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर, निम्नवत है:-

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/2/2016-PE-I dated 05<sup>th</sup> February, 2020 and Memorandum of Settlement 30/08/2018, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from July, 2022 to September, 2022 based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 277 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

| श्रेणी<br>Class  | अवधि<br>Period |            | त्रैमासिक औसत<br>प्वाइंट्स<br>Three monthly<br>average points | डी.ए. के लिए गणना किए<br>जानेवाले प्वाइंट्सों की<br>कुलसंख्या<br>Total No. of points to<br>be counted for D.A | 100% न्यूट्रलाइजेशन<br>डी.ए. की %<br>% of D.A. on 100%<br>neutralization |
|--|----------------|------------|---|---|--|
|  | From           | To         |   |   |  |
| प्रथम व द्वितीय श्रेणी<br>अधिकारी<br>Class I & II<br>Officers      | 01/07/2022     | 30/09/2022 | 367   | 90  | 32.49 %  |
| तृतीय तथा चतुर्थ<br>श्रेणी कर्मचारि<br>Class III & IV<br>employees | 01/07/2022     | 30/09/2022 | 367   | 90  | 32.49 %  |

- डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 277 पर लागू होंगी।  
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 277
- यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of the Chairman.

  
22/7/22

वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक ( ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पट्ट
- 6) सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website